निविदा सूचना

44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ के परिसर में चाय, शीतल पेय मिठाई, नमकीन इत्यादि जलपान सामग्री बेचने के लिये वेट कैन्टीन हेतु एक ठेकेदार को नियुक्त करने के लिये सील बन्द लिफाफे में टेण्डर आमन्त्रित किये जाते है–

कैन्टीन को ठेके पर लिये जाने हेतु सील बन्द निविदाये मुहर बन्द लिफाफे में दिनांक :– 25.06.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहियें, लिफाफे के ऊपर कैन्टीन मर्चैन्ट के लिये टेण्डर लिखा होना चाहिये, विलम्ब से अथवा अधूरी प्राप्त होने वाली निविदाये स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा निर्धारित प्रपत्र, जो 44वीं वाहिनी पीएसी, मेरठ के अन्तर्गत प्रधान लिपिक शाखा से नकद रू0–400/– एवं निर्धारित देय 12 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान प्रदान कर प्राप्त किया जा सकता है, निविदा निर्धारित प्रपत्र, पर होनी आवश्यक है, जो तद्दिनांक को दोपहर 02:00 बजे कार्यालय में वाहिनी के उपलब्ध राजपत्रित अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

सेनानायक को इस बात का पूर्ण अधिकार होगा, कि वह कोई भी निविदा स्वीकार कर सकते है। अस्वीकार की गयी निविदा के लिये कारण बताने के लिये बाध्य नही होगें। प्रत्येक निविदा के साथ रू0–5000/–अर्नेस्ट मनी के रूप में संलग्न करना होगा। जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकार होगी, उसे सूचना दिये जाने के एक सप्ताह के अन्दर (एग्रीमेन्ट डीड) नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर भरना होगा। जिसके प्रतिबन्धो के लिये वह बाध्य होगा।

स्वीकृत निविदा वाले व्यक्ति को सूचना के एक सप्ताह के अन्दर एक माह के किराये के बराबर धनराशि बतौर जमानत के वाहिनी गेनिटीज फण्ड में आंकिक के पास जमा करनी होगी। यदि निविदा स्वीकृत होने के बाद सम्बन्धित व्यक्ति निर्धारित अवधि के अन्दर-पत्र (एग्रीमेन्ट डीड) नही भरता है अथवा जमानत की धनराशि जमा नही करता है, तो उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुये दूसरे व्यक्ति की निविदा स्वीकार की जा सकती है अथवा पुनः निविदा आमन्त्रित की जा सकती है। इस सम्बन्ध में सेनानायक जो उचित समझे कार्यवाही कर सकते है।

कैन्टीन ठेके की निर्धारित अवधि से पूर्व यदि ठेकेदार कैन्टीन बन्द करता है, तो ठेकेदार के द्वारा दिये गये एग्रीमेन्ट के आधार पर उसकी जमानत धनराशि जब्त कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

1/c website

निविदा की शर्ते

1– खादय सामग्री की क्वालिटी एवं कीमत प्रत्येक माह वाहिनी के राजपत्रित अधिकारी से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही विक्रय की जा सकेगी।

2– किसी नशीले पदार्थ गुटका/सिगरेट/बीडी/तम्बाकू आदि का विक्रय नही किया जायेगा।

3– ठेका मिलने वाले व्यक्ति को बटालियन एमेनिटीज फण्ड रिबेट नही होगा। रिबेट देने वाले ठेकेदार की निविदा स्वीकृति पर सेनानायक द्वारा विचार किया जायेगा।

4– ठेकेदार कैन्टीन में को आपरेटिव डेयरी का दूध प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा। किसी भी दशा में प्राईवेट से दूध का कय नहीं करेगा। इस अनियमितता का दोषी पाये जाने पर ठेकेदार का ठेका निरस्त किया जा सकता है।

18/6/24

5– ठेकेदार को निम्न शर्तो पर आधारित फार्म भरना होगा। इस लिये वही व्यक्ति निविदा प्रस्तुत करें जिनको शर्ते स्वीकार होगी:– रिबेट की धनराशि रू0 26015/– प्रतिमाह की दर से कम नहीं होगी।

कैन्टीन भवन का किराया–	रू0–500–00 प्रतिगाह
स्वीपर/कूड़ा निस्तारण चार्ज	रू0–500–00 प्रतिमाह
पानी चार्ज	रू0–500–00 प्रतिमाह

बिजली चार्जेज मीटर रीडिग की व्यवसायिक दर से प्रतिमाह देना होगा।

6– उक्त कैन्टीन का ठेका दिनांक :– 01–07–2024 से 31–03–2025 तक रहेगा।

7–ठेकेदार उक्त कैन्टीन में एवं उसके आस–पास किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन सेनानायक की पूर्व अनुमति के बिना नही करेगा।

8– ठेकेदार कैन्टीन एवं उसके आस–पास–स्वच्छता बनाये रखेगा।

9– ठेकेदार कैन्टीन में किसी अधिकारी/कर्मचारी का व्यक्तिगत कच्चा अथवा पक्का सामान या आपत्तिजनक वस्तु नही बेचेगा।

10– कैन्टीन में कोई नशीली वस्तु तस्कर का सामान, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक सामान या अन्य आपत्तिजनक सामान नही बेचेगा।

11– कैन्टीन में राशन कार्ड का कोई सामान नही बेचेगा।

12– ठेकेदार एक माह में मुख्य आरक्षी/आरक्षी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियो को रू0–400–00 प्रतिमाह एवं दलनायक/गुल्मनायक को रू0–500–00 प्रतिमाह से अधिक धनराशि का सामान उधार नही देगा। यदि देता है तो उसकी जिम्मेदारी वाहिनी के किसी अधिकारी की नही होगी।

13–कैन्टीन में कोई भी रोगग्रस्त व्यक्ति नौकर के रूप में नही रखेगा।

14– ठेकेदार द्वारा दैनिक जलपान की वस्तुये पर्याप्त मात्रा में एवं अच्छी क्वालिटी की कैन्टीन में रखनी होगी।

15– कैन्टीन खुली होने पर सेनानायक अथवा वाहिनी के अन्य राजपत्रित अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के कैन्टीन का निरीक्षण कर सकते है।

16– ठेकेदार कैन्टीन में उपलब्ध सामान के मूल्य की एक सूची कैन्टीन में लगायेगा।

17– कैन्टीन में कोई भी सामान बाजार से अधिक रेट पर नही बेचेगा। सेनानायक द्वारा मनोनीत कमेटी द्वारा प्रतिमाह बाजार से जॉचकर बिभिन्न वस्तुओ का भाव करेगी। ठेकेदार कमेटी की रिपोर्ट मानने के लिये बाध्य होगा।

18– ठेकेदार कैन्टीन का ठेका किसी अन्य व्यक्ति को नही देगा।

19–ठेकेदार अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है , खराब सामान बेचता है , अधिक रेट पर सामान बैचने की शिकायत मिलती है, वाहिनी में प्रचलित नियमो को तोडता है, प्रशासनिक आदेशो का उल्लंघन करता है या ऐसा करने के लिये किसी कर्मचारी को बढावा देता है तो सेनानायक को अधिकार होगा कि ठेकेदार के विरूद्व रू0–500–00 तक जुर्माना कर सकता है। ठेकेदार कैन्टीन ठेके की निर्धारित अवधि से पूर्व यदि कैन्टीन समाप्त करता है तो ठेकेदार के द्वारा जमा की गई जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

20– प्रत्येक ठेकेदार अपने–अपने टेण्डर के साथ अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी संलग्न करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत होना चाहिये।

पत्रांक: क–3 / 2020
दिनांक 12 –06–2024

सेनानायक
44वीं वाहिनी पीएसी
मेरठ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– पुलिस उप महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाऐ पुलिस तकनीकी सेवाये मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त टेण्डर नोटिस का विज्ञापन पुलिस विभाग की बेबसाईड पर प्रकाशित कराने की कृपा करें।
2–पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।
3– जिलाधिकारी, मेरठ।
4– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ / गाजियाबाद / गौतमबुद्धनगर / बुलन्दशहर / बागपत / हापुड / शामली / मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर।
5– जिला सूचना अधिकारी मेरठ को सूचनार्थ एवं स्थानीय अखबार में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु ।
6– सेनानायक 6 / 41 / 47 / 49वीं वाहिनी पीएसी।
7– ठेकेदार श्री विशाल कुमार सक्सेना पुत्र श्री रामान्द, निवासी एल–1069 शास्त्री नगर मेरठ।
8– ठेकेदार श्री भैयालाल पुत्र श्री प्रभाती लाल, बी–864 सैनिक विहार, ककंरखेडा मेरठ।
9– ठेकेदार श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, म0नं0––14न्यू हनुमानपुरी, एस0के0रोड, मेरठ।
10–ठेकेदार श्री नानक मित्तल, सिगनल रेजीमेन्ट मेरठ कैण्ट मेरठ।
11– ठेकेदार श्री कान्तीलाल ,इन्जीनियरिंग वर्कशाप मेरठ कैन्ट मेरठ।
12– ठेकेदार श्री जगमोहन बंसल, बंसल कैन्टीन रजबन मेरठ।
13– ठेकेदार श्री सुदेश मलिक, जागृति बिहार, मेडिकल कालेज के सामने, मेरठ।
14– ठेकेदार श्री उमाशंकर गोयल, बेगा इन्टरप्राईजेज दिल्ली रोड मेरठ।
15– ठेकेदार कैन्टीन 6पीएसी, मेरठ।
16– ठेकेदार श्री बंजरग लाल शर्मा पुत्र श्री नत्थूलाल, निवासी नागला बनेटी जयपुर राजस्थान।
17– केन्टीन ठेकेदार पी0टी0एस0 / पुलिस लाइन मेरठ।
18– ठेकेदार श्री महेन्द्र सिंह, ग्राम काजीपुर थाना खरखौदा डाक घोसीपुर तहसील मेरठ ।
19–शिविरपाल / प्रधान लिपिक / आंकिक, 44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
20–श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री पवन कुमार शर्मा, गाव–बनेठी, तहसील–कोटपुतली जिला–जयपुर (राजस्थान)8058726926